न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री विजयनगर जिला श्री अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी - श्रीमती शंकुतला आर.ए.एस.

अनवान -

01- बंशीधर पुत्र स्व. श्री लेखराम जाति ब्राहम्ण उम्र करीब 50 वर्ष निवासी मांझूवास तहसील पदमपुर जिला श्री गंगानगर (राज.)

.....प्रार्थी......

बनाम-

01- कालूराम पुत्र स्व. श्री लेखराम जाति ब्राहम्ण निवासी माझूवास हाल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

02- मुनी देवी पत्नी स्व. श्री लेखराम जाति ब्राहम्ण निवासी माझूवास हाल निवासी रतनपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.)

03- चुके बाई पुत्री स्व. श्री लेखराम पत्नी श्री मेघराज जाति ब्राहम्ण निवासी चनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राज.)

04- भागवन्ती पुत्री स्व. श्री लेखराम पत्नी श्री जयनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी नेहराना तहसील नाथूसरी चौपटा जिला सिरसा (हरियाणा)

05- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्री विजयनगर ।

06- उप-पंजीयक श्री विजयनगर जिला श्री गंगानगर।

....अप्रार्थीगण...

उपस्थिति- 01- श्री सुखदेव बुट्टर, वकील प्रार्थी

02- श्री [illegible]....., वकील अप्रार्थीगण

03- पेराकार राज, तहसीलदार श्री विजयनगर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम)

राजस्व प्रकरण संख्या - 22/2023 निर्णय दिनांक - 10/12/2024

(जी.सी.एम.एस.-2023/108)

::-निर्णय ::-

प्रकरण के तथ्य संक्षेम में इस प्रकार है कि-

प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से संयुक्त खाता में चक 12 ए. एस. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 215/469 मु.नं. 28 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 हैक्टेयर अनकमाण्ड व प.नं. 210/469 मु.नं. 33 का किला नं. 1/2 ता. 25 का 6.199 हैक्टर अनकमाण्ड कुल 12.524 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसमें प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 प्रत्येक का 1/5 हिस्सा दर्ज है। उपरोक्त वर्णित मुश्तरका खाता की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के पिता स्व. श्री लेखराम के नाम से वर्णित रकबा था। जो उनके देहान्त उपरान्त हम विधिक वारिसान प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1, पुत्रों व अप्रार्थी संख्या 2 पत्नी व अप्रार्थी संख्या 3 व 4 दो पुत्रियों सहित कुल 5 वारिसान में रकबा विरास्तन दर्ज रिकार्ड हुआ। इसलिए प्रार्थी वादग्रस्त रकबा में 1/5 हिस्सा भूमि का दर्ज रिकार्ड सह खातेदार मालिक का[illegible] वादग्रस्त रकबा का दोनों मुरब्बाजात भूमि पहले बहुत की उबड़ खाबड़ [illegible] की होने व अनकमाण्ड भूमि होने से काश्त योग्य नहीं रही। [illegible] प्रार्थी संख्या 1 कालूराम दोनों भाईयों द्वारा संयुक्त रूप से परिश्रम व धन खर्च करते हुए एक मुरब्बा [illegible] को कुछ समतल आदि करते हुए तथा झाड़ि[illegible] व कंटीले वृक्ष आदि को [illegible] सफाई करते हुए सुधार कर काश्त योग्य बनाया गया। जिससे वादग्रस्त रकबा के कुल 50-00 बीघा करीब भूमि में से 1 मुरब्बा की 25-00 बीघा भूमि में किये गये समतल

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

सुधार से अनकमाण्ड रकबा को बरसात के मौसम के दौरान फसल बिरानी बिजाई कर दोनों भाइयों द्वारा काश्त किया जाना लगा। जिस दौरान हम दोनों में यही तय हुआ कि इसी तरह शेष रहे रकबा करीब 25-00 बीघा दूसरी भूमि को भी इसी प्रकार संयुक्त परिश्रम व धन खर्च से समतल कर टीले/धोरे हटाकर व झाड़िया आदि हटाते हुए रकबा ेंषि योग्य किया जाकर दोनों रकबो की एक समान भूमि हो जाने पर रकबा को दोनों भाईयों में किला वाईज रास्ता आदि की सुविधा अनुसार विभाजन कर बंटवारा कर लिया जावेगा। जिससे प्रार्थी सद्भावी रहा। उक्त अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 के द्वारा वादग्रस्त रकबा में किये जाते सुधार दौरान अप्रार्थी संख्या 2 माता व अप्रार्थी संख्या 3, 4 दोनों बहनों द्वारा भी इसी अनुसार सहमत होते हुए रकबा में अपने अपने हक मौखिक तौर पर हम दोनों भाईयों प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 में त्याग किये जाकर वादग्रस्त रकबा में कोई हक हिस्सा नहीं लेना जाहिर करते हुए कहा जाता रहा कि हमारे द्वारा अपनी अपनी शादी के समय दान दहेज में जो कुछ हिस्सा बनता था ले चुकी है। चूंकि रकबा अनकमाण्ड व काफी ऊंचा टीले युक्त होने से ेंषि योग्य नहीं होने से कोई पैदावार आदि नहीं होकर बल्कि वादग्रस्त रकबा पर बहुत मेहनत व धन खर्च करने की हमेशा जरूरत है तथा कहा गया कि वे सभी इसमें असमर्थ है इसलिए जब कभी जरूरत होगी हम ब्यान आदि देकर भी कानूनी हक त्याग कर देगी तथा कभी भी भूमि में हक हिस्सा की मांग नहीं करेगी। प्रार्थी के पिता जो कि करीब 25 वर्ष से अधिक समय पहले फौत हो जाने बाद से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ही वादग्रस्त रकबा की सार सम्भाल व देखरेख तथा समतल व सुधार किये ेंषि योग्य रकबा में बरसात के सीजन में ग्वार आदि हाड़ी फसल संयुक्त काश्त करते आ रहे है। दोनों द्वारा ही भूमि को संयुक्त अन्य से भी हिस्सा पर काश्त करवाया जाता रहा है। इसी दौरान प्रार्थी द्वारा समय समय पर अपने भाई अप्रार्थी संख्या 1 को शेष रही भूमि में भी उपरोक्त अनुसार सुधार कर टीले/धोरे समतल कर काश्त योग्य किये जाने का कहा जाता रहा तो उसके द्वारा कभी कोई न कोई बहाना व आर्थिक तंगी आदि का हवाला देकर आश्वस्त किया जाता रहा कि जल्दी ही दोनों द्वारा संयुक्त तौर पर शेष भूमि को भी सुधार कर समतल आदि करते हुए एक समान रकबा कर लिया जावेगा। जिसके बाद बयान आदि अथवा हक त्याग से बराबर बराबर दोनों के नाम करवा लेंगे। जिस पर प्रार्थी सद्भावी विश्वास करता रहा। अब प्रार्थी की माता जो अप्रार्थी संख्या 2 जो कि काफी वृद्ध आयु होने से स्वयं अपना अच्छा बुरा समझने, सोचने में असमर्थ होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रार्थी का भाई अप्रार्थी संख्या 1 जो कि काफी होशियार व लालची प्रवृति का है। जिसके द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 ता 4 माता व बहनों को अपने प्रभाव में लेते हुए प्रार्थी के खिलाफ बहकाया जाकर वादग्रस्त रकबा के पूर्व के दोनों भाईयों में घरू बंटवारा से मुकरते हुए अकेले अपने पक्ष में ही रकबा चोरी छुपे कराने की फिराक में होने अथवा सीधे ही रकबा बेचान करने पर उतारू होने का पता चलने पर प्रार्थी द्वारा आज से करीब 5 रोज पूर्व मौजिज पंचायत के समक्ष अप्रार्थीगण को इस प्रकार कोई गैर कानूनी ेंत्य नहीं कर बल्कि सभी द्वारा रकबा ब्यान व हकत्याग आदि से प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 दोनों के पक्ष में बराबर बराबर हिस्सा में करवाने का कहा जाने पर कोई सुनवाई नहीं की गई तब प्रार्थी द्वारा अपनी माता व बहनों अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 4 को यदि उनके द्वारा अपना-अपना [illegible] किया भी जाना है तो वह मुश्तरका रकबा में से टीले युक्त ऊंचाई [illegible] रकबा [illegible] समतल किया रकबा में प्रार्थी व अप्रार्थीगण सभी बराबर बराबर एक [illegible] उसी अनुसार किला वाईज प्रार्थी के नाम विभाजन से दर्ज करवाने का कहा जाने पर अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा करने से इन्कार कर दिया तथा रकबा बिना किला वाईज विभाजन मुश्तरका हिस्सा में ही अन्यत्र बेचान आदि करने की धमकी दी गई। यही बिनाए मुखास्मत वाद कारण है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रार्थी जो कि परिवार में बड़ा पुत्र होने से पहले पिता के साथ व उनके बाद अपने छोटे भाई अप्रार्थी संख्या 1 के साथ वादग्रस्त रकबा में संयुक्त परिश्रम- मेहनत व धन खर्च से अपनी जीवन भर की कमाई लगाते हुए मालिक काबिज होकर काफी सुधार आदि किया जाने से अब अप्रार्थीगण के मन में लालच व बेईमानी आ गई है। जिनके द्वारा इसी आशय से लालच वश प्रार्थी को तंग परेशान करते हुए सुधार किये पि योग्य रकबा से वंचित करने की नियत से योजना बनाकर मिलीभगत से अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा केवल अपने नाम करवाकर बिना किला वाईज विभाजन करवाये मुश्तरका हिस्सा में ही अच्छी सुधरी भूमि बेचान कर अन्य को काबिज करवाने की फिराक में है। जबकि प्रार्थी वादग्रस्त रकबा में 1/5 हिस्सा का दर्ज रिकार्ड सह खातेदार होने से इंच दर इंच समस्त रकबा में बराबर बराबर मालिक काबिज है जिसका प्रार्थी स्वयं को किला वाईज विधिक विभाजन से अच्छी से अच्छी व बुरी से बुरी भूमि रास्ता आदि सुविधा व किस्म भूमि अनसार खातेदार टीनेन्ट घोषित करवानेव मुताबिक डिक्री अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में विधिक विभाजनअनुसार इन्द्राज करवाने का विधिक अधिकारी है। यदि वाद विचारण दौरान अप्रार्थीगण द्वारा संयुक्त मुश्तरका खाता में दर्ज भूमि में किसी प्रकार दखल अंदाजी व मदाखलत की जाती है तो प्रार्थी के विधिक अधिकारों का हनन होगा। व हित प्रभावित होगे। इसलिए प्रार्थी अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का भी विधिक अधिकारी है। प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि आजीविका का एकमात्र जरिया है। जिसे अथाह धन व मेहनत खर्च कर प्रार्थी द्वारा काबिल काश्त व उपजाऊ बनाया है। यदि अप्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक विभाजन हुए उक्त भूमि को मुश्तरका ही किसी अन्य को रहन विक्रय कर दिया जाता है तो तीसरे पक्ष के हित सर्जित हो जाएगे और जटिलता बढ़ेगी व अनावश्यक मुकदमा बाजी बढेगी। जबकि मुश्तरका दर्ज रकबा में इस प्रकार अन्तरण आदि का अप्रार्थीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रार्थी वादग्रस्त रकबा में मुश्तरका खाता का दर्ज रिकार्ड सह खातेदार भूमि मालिक वा काबिज है। इसलिए प्रथम –दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति तीनों महत्वपूर्ण बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है। प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार का है एवं पूर्ण कोर्ट फीस पर तहरीर होकर अन्दर मियाद पेश है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वाद ग्रस्त मुश्तरका खाता की कृषि भूमि चक 12 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 210/469 मु.नं. 33 का किला नं. 1/2 ता 25 का 6.199 हैक्टर अनकमाण्ड व प.नं. 215/469 मु.नं. 28 का किला नं. 1 ता 25 का 6. 325 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल 12.524 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि अथवा किसी विशिष्ट भाग को अप्रार्थीगण स्वयं या किसी अन्य के माध्यम से रहन, बैय, विक्रय आदि द्वारा अन्तरण नहीं कर रकबा के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा जरिये वकील जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या 5, 6 ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

उभय पक्ष सुनी और पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी एवं कानूनी बिन्दुओं पर मनन किया गया और बहस निष्कर्ष रूप में यह पाया कि विवादित भूमि चक 12 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 210/469 मु.नं. 33 का किला नं. 1/2 ता 25 का 6.199 हैक्टर अनकमाण्ड व प.नं. 215/469 मु.नं. 28 का किला नं. 1 ता

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

25 का 6.325 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल 12.524 हैक्टेयर अनकमाण्ड भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के नाम से दर्ज है तथा प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के संयुक्त कब्जा काश्त में है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 द्वारा विवादित भूमि खुर्द-बुर्द करने पर अपूर्णीय क्षति प्रार्थी को होगी एवं ना पूरा होने वाला नुकसान भी प्रार्थी को होगा तथा अनावश्यक मुकदमे बाजी बढ़ेगी, सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को वर्जित किया जाता है कि वे चक 12 ए.एस. तहसील श्री विजयनगर का प.नं. 210/469 मु.नं. 33 का किला नं. 1/2 ता 25 का 6.199 हैक्टर अनकमाण्ड व प.नं. 215/469 मु.नं. 28 का किला नं. 1 ता 25 का 6.325 हैक्टेयर अनकमाण्ड कुल 12.524 हैक्टेयर अनकमाण्ड खातेदारी भूमि की रिकॉर्ड व मौका की यथास्थिति मूल वाद के निर्णय तक बनाये रखेगे। तहसीलदार श्री विजयनगर को निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक ...10/12/24.....को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

शकुंतला
उपखण्ड अधिकारी
श्री विजयनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2025.01.10 10:01:42 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner